फार्म–ए

UPLL010032662023

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार सिंह,

सेशन केस संख्या 700/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. सत्यम सिंह उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र कृष्णपाल सिंह,
2. श्रीमती ममता उम्र करीब 50 वर्ष, पत्नी कृष्णपाल सिंह,
3. शक्ति सिंह उम्र करीब 22 वर्ष, पुत्र कृष्णपाल सिंह,

निवासीगण ग्राम कुआंतला, थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

------ अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 370/2023
धारा 498 ए, 304 बी, 323/34, 120 बी, 504 भा.द.सं.,
व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
वैकल्पिक धारा 302 भा.द.सं.,
थाना कोतवाली ललितपुर,
जनपद ललितपुर।

इंडैक्स–सूची

क्र.सं.	**विवरण**	**पेज संख्या**
1.	घटना का तिथिवार विवरण	2
2.	साक्षीगण का संक्षिप्त विवरण	3
2.	मामले के तथ्य	4–7
3.	साक्षीगण का मुख्य परीक्षा में किया गया कथन	7–12
3.	पक्षकारों के तर्क	12–14
4.	समीक्षा एवं निष्कर्ष	14–30
5.	आदेश	30

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:24:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फार्म–बी

क्र.सं.	दिनाँक	घटना का विवरण–
1.	12.05.2023	अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति सिंह द्वारा वादी मुकदमा राजेन्द्र की पुत्री/मृतका भावना से दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गयी, मृतका को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ क्रूरता की गयी और षडयन्त्र करके मृतका भावना को फांसी पर लटका कर उसकी दहेज हत्या कारित की गयी।
2.	12.05.2023	समय 5.59 पी.एम. पर अभियुक्त सत्यम द्वारा मृतका भावना को मेडिकल कालेज, झांसी में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां मृतका का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया।
3.	17.05.2023	समय 08.20 ए.एम. पर दौरान इलाज मृतका की मृत्यु हो गयी।
4.	17.05.2023	समय 12.23 बजे से मृतका के पंचायतनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार राधा पालीवाल द्वारा सम्पादित की गयी।
5.	17.05.2023	समय 05.05 पी.एम. से 05.40 पी.एम. पर मृतका का पोस्टमार्टम किया गया।
6.	17.05.2023	वादी मुकदमा राजेन्द्र द्वारा थाना कोतवाली में एक किता तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
7.	19.05.2023	अभियुक्तगण सत्यम व ममता को गिरफ्तार किया गया।
8.	17.06.2023	अभियुक्त शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया गया।
9.	18.06.2023	अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
10.	10.07.2023	आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।
11.	12.09.2023	पत्रावली सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी।
12.	21.10.2023	अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया।
13.	18.04.2024	पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र का बयान अंकित किया गया।
14.	24.04.2024/ 13.05.2024/ 17.05.2024	पी.डब्ल्यू.2 सरोज का बयान अंकित किया गया।
15.	03.07.2024	पी.डब्ल्यू.3 जितेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया।
16.	20.09.2024/ 26.09.2024	पी.डब्ल्यू.4 अरुण प्रताप सिंह का बयान अंकित किया गया।
16.	03.10.2024	पी.डब्ल्यू.5 कल्लू का बयान अंकित किया गया।
17.	16.10.2024	पी.डब्ल्यू.6 राधा पालीवाल का बयान अंकित किया गया।
18.	23.10.2024	पी.डब्ल्यू.7 डा. रविकान्त शर्मा का बयान अंकित किया गया।
19.	07.11.2024	पी.डब्ल्यू.8 डा. अखिलेश कुमार सिंह का बयान अंकित किया गया।
20.	16.11.2024	पी.डब्ल्यू.9 विवेचक अभय नारायण राय का बयान अंकित किया गया।
21.	27.11.2024	अभियुक्तगण के धारा 313 द.प्र.सं. के बयान अँकित किये गये।
22.	03.12.2024	डी.डब्ल्यू.1 नर्वदा का बयान अँकित किया गया।
23.	07.12.2024	डी.डब्ल्यू.2 बलराम का बयान अँकित किया गया।
24.	11.12.2024	डी.डब्ल्यू.3 धर्मेन्द्र का बयान अँकित किया गया।
25.	01.04.2025	पी.डब्ल्यू.10 का. महेन्द्र नाथ पाठक का बयान अंकित किया गया।
26.	09.04.2025	अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत आधार 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया।
27.	28.03.2026	पक्षों की अंतिम बहस सुनी गयी।
28.	31.03.2026	निर्णय पारित किया गया।

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

फार्म–सी

अभियोजन की ओर से सेशन केस संख्या 700/2023, सरकार बनाम सत्यम आदि, धारा 498 ए, 304 बी, 323/34, 504, 120 बी भा.द.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वैकल्पिक धारा 302 भा.द.सं., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर की पत्रावली में मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित साक्षियों व उनके द्वारा साबित किये गये अभियोजन प्रपत्रों का विवरण–

साक्षी का क्रम	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की श्रेणी**	**साबित किया गया**	**प्रदर्श**
पी.डब्ल्यू.1	राजेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा	तहरीर	**प्रदर्श क–1**
पी.डब्ल्यू.2	सरोज	तथ्य की साक्षी	–	–
पी.डब्ल्यू.3	जितेन्द्र सिंह	तथ्य का साक्षी		
पी.डब्ल्यू.4	अरुण प्रताप सिंह	तथ्य का साक्षी	–	–
पी.डब्ल्यू.5	कल्लू	तथ्य का साक्षी	–	–
पी.डब्ल्यू.6	राधा पालीवाल	पंचायतनामाकर्ता	पंचायतनामा, रिपोर्ट सी.एम.ओ., नमूना सील, फोटोनाश, पुलिस फार्म संख्या 33, शव चालानी रिपोर्ट,	**प्रदर्श क–2** **प्रदर्श क–3** **प्रदर्श क–4** **प्रदर्श क–5** **प्रदर्श क–6** **प्रदर्श क–7**
पी.डब्ल्यू.7	डा. रविकान्त शर्मा	चिकित्सकीय परीक्षणकर्ता	चिकित्सकीय परीक्षण आख्या	**प्रदर्श क–8**
पी.डब्ल्यू.8	डा. अखिलेश कुमार सिंह	पोस्टमार्टमकर्ता	पोस्टमार्टम आख्या	**प्रदर्श क–9**
पी.डब्ल्यू.9	अभय नारायण राय	विवेचक	नक्शा नजरी आरोप पत्र	**प्रदर्श क–10** **प्रदर्श क–11**
पी.डब्ल्यू.10	कां. महेन्द्र नाथ पाठक	एफ.आई.आर. लेखक	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट जी.डी. कायमी	**प्रदर्श क–12** **प्रदर्श क–13**

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

UPLL010032662023

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार सिंह,

सेशन केस संख्या 700/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. सत्यम सिंह उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र कृष्णपाल सिंह,
2. श्रीमती ममता उम्र करीब 50 वर्ष, पत्नी कृष्णपाल सिंह,
3. शक्ति सिंह उम्र करीब 22 वर्ष, पुत्र कृष्णपाल सिंह,

निवासीगण ग्राम कुआंतला, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर।

------ अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 370/2023
धारा 498 ए, 304 बी, 323/34, 120 बी, 504 भा.द.सं.,
व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
वैकल्पिक धारा 302 भा.द.सं.,
थाना कोतवाली ललितपुर,
जनपद ललितपुर।

अभियोजन अधिवक्ताः श्री राजेश दुबे, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताः श्री कमलेश रिछारिया एडवोकेट।

निर्णय

1– थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सत्यम सिंह, श्रीमती ममता व शक्ति सिंह के विरुद्ध धारा 498A, 304B, 120B, 323, 504 भा.द.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रकरण से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह द्वारा मुकामी थाने कोतवाली ललितपुर में दिनांक 17.05.2023 को टाईपशुदा तहरीर (**प्रदर्श क–1**) इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसने अपनी पुत्री भावना का विवाह विगत दो वर्ष पूर्व सत्यम पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह, निवासी ग्राम कुआंतला, थाना कोतवाली ललितपुर के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार एवं अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज व नगदी पैसे देकर किया था। शादी से पुत्री के ससुराल वाले पति सत्यम, सास श्रीमती ममताबाई, देवर शक्ति व ननद पूजा खुश नहीं थे और दहेज की मांग करने लगे। जब उसकी पुत्री ने कहा कि उसके पिता की हैसियत नहीं है जो उनकी मांग को पूरा कर सके तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा

आये दिन गाली गलौज करते व उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते रहे। इसकी सूचना मिलने पर उसने व रिश्तेदारों ने कई बार समझाया, परंतु उक्त लोग इन हरकतों से बाज नहीं आये और ना ही उसकी पुत्री को शादी के बाद से उसके घर भेजा। घटना के दिनाँक 12.05.2023 को उसकी पुत्री को ससुराल वालों ने गले में फांसी लगाई, जिसमें उसकी पुत्री को चोट आने के कारण, षडयन्त्र करके ससुराल वाले उसे इलाज के लिए झांसी ले गये जहाँ इलाज के दौरान दिनाँक 17.05.2023 को उसकी पुत्री भावना की मृत्यु हो गयी।

3– वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर (**प्रदर्श क–1**) के आधार पर थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर में अभियुक्तगण सत्यम, ममताबाई, शक्ती व पूजा के विरुद्ध अपराध संख्या 370/2023 पर धारा 304 बी, 498 ए, 323, 504, 120 बी भा.द.सं. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक **प्रदर्श क–12** है, जिसका खुलासा नकल रपट संख्या 65 समय 21.37 बजे दिनाँकित 17.05.2023 रोजनामचा आम **(प्रदर्श क–13)** में किया गया। फौती सूचना के आधार पर दिनाँक 17.05.2023 को मृतका का पंचायतनामा **(प्रदर्श क–2)** राधा पालीवाल, नायब तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया। पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी **(प्रदर्श क–3)**, नमूना सील **(प्रदर्श क–4)**, फोटोनाश **(प्रदर्श क–5)**, पुलिस फार्म संख्या 33 **(प्रदर्श क–6),** चालान शव विच्छेदन **(प्रदर्श क–7),** चिकित्सकीय परीक्षण मृतका **(प्रदर्श क–8)** है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम पी.डब्ल्यू.5 डॉक्टर अखिलेश द्वारा दिनाँक 17.05.2023 को किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–9** है।

4– मुकदमा कायम होने के पश्चात् प्रकरण की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर, ललितपुर द्वारा ग्रहण की गयी। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी **(प्रदर्श क–10)** तैयार किया गया तथा साक्षियों के बयान अंकित किये गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचायतनामा का अवलोकन किया गया। स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य अंकित किये गये। संकलित साक्ष्य से अभियुक्ता पूजा की नामजदगी गलत पाते हुए, शेष अभियुक्तगण सत्यम सिंह, श्रीमती ममता व शक्ति सिंह के विरुद्ध धारा 498A, 304B, 323, 504, 120B भा.द.सं. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र (**प्रदर्श क–11)** न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5– आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा उस पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने पर सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6– मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनाँक 21.10.2023 को अभियुक्तगण सत्यम सिंह, श्रीमती ममताबाई व शक्ति सिंह के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी, 120 बी, 323/34, 504 भा.द.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा विकल्प में धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए पी. डब्ल्यू. 1 वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह (मृतका का पिता), पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती सरोज (मृतका की माता), पी.डब्ल्यू. 3 जितेन्द्र सिंह (मृतका के मामा), पी.डब्ल्यू. 4 अरुण प्रताप सिंह (मृतका का रिश्ते का भाई), पी. डब्ल्यू.5 कल्लू

(मृतका का चाचा), पी.डब्ल्यू.6 नायब तहसीलदार राधा पालीवाल (पंचायतनामाकर्ता), पी.डब्ल्यू.7 डॉक्टर रविकान्त शर्मा (मृतका के इलाजकर्ता), पी.डब्ल्यू.8 डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह (पोस्टमार्टमकर्ता), पी.डब्ल्यू.9 क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय (विवेचक) व पी.डब्लू.10 का. महेन्द्र नाथ पाठक (एफ.आई.आर. लेखक) को परीक्षित कराया गया है।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर **(प्रदर्श क–1),** पंचायतनामा **(प्रदर्श क–2),** चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी **(प्रदर्श क–3),** नमूना सील **(प्रदर्श क–4)**, फोटोनाश **(प्रदर्श क– 5),** पुलिस फार्म संख्या 33 **(प्रदर्श क–6),** चालान शव विच्छेदन **(प्रदर्श क–7),** चिकित्सकीय परीक्षण आख्या **(प्रदर्श क–8),** पोस्टमार्टम रिपोर्ट **(प्रदर्श क–9)**, नक्शा–नजरी **(प्रदर्श क–10),** आरोप पत्र **(प्रदर्श क–11),** चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **(प्रदर्श क–12)** व जी.डी. कायमी मुकदमा **(प्रदर्श क–13)** प्रस्तुत कर साबित कराये गये हैं।

9– **पी.डब्ल्यू.1** राजेन्द्र सिंह ने तहरीर (प्रदर्श क–1), **पी.डब्ल्यू.6** राधा पालीवाल ने पंचायतनामा (प्रदर्श क–2), चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रदर्श क–3), नमूना सील (प्रदर्श क–4), फोटोनाश (प्रदर्श क– 5), पुलिस फार्म संख्या 33 (प्रदर्श क–6), चालान शव विच्छेदन (प्रदर्श क–7), **पी.डब्ल्यू.7** डा. रविकान्त शर्मा ने मृतका की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या (प्रदर्श क–8), **पी.डब्ल्यू.8** डा. अखिलेश कुमार सिंह ने मृतका की शव विच्छेदन आख्या (प्रदर्श क–9), **पी.डब्ल्यू.9** डा. अभय नारायण राय ने नक्शा–नजरी (प्रदर्श क–10) व आरोप पत्र (प्रदर्श क–11) तथा **पी.डब्ल्यू.10** कांस्टेबल महेन्द्र नाथ पाठक ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–12) एवं जी.डी. कायमी मुकदमा (प्रदर्श क–13) को साबित किया है।

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात दिनाँक 27.11.2024 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक गलत बताते हुए, पी.डब्ल्यू.1 लगायत पी.डब्ल्यू.5 द्वारा झूठे बयान देना, पी.डब्ल्यू.6 व पी.डब्ल्यू.7 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहना, पी.डब्ल्यू.8 द्वारा वादी से मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना, पी.डब्ल्यू.9 द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर झूठा आरोप पत्र लगाना, मुकदमा उनके विरुद्ध झूठा चलना तथा सफाई–साक्ष्य देना कहा है। अभियुक्ता ममता ने कथन किया है कि *उस दिन हर्षपुर बहन नर्वदा के यहाँ थी, क्योंकि बहनोई खत्म हो गये थे। वह अलग रहती थी। छोटे लड़के शक्ति के साथ रहती थी। उसने कुछ नहीं किया है। झूठा फंसाया है। कोई मांग नहीं की गयी थी।* अभियुक्त सत्यम द्वारा कथन किया गया है कि *उसकी पत्नी की माँ उससे पैसे मांगती रहती थी। वह पत्नी को दे देता था, जो अपनी माँ को भिजवा देती थी। उसकी पत्नी दिमागी रूप से परेशान थी। खुद फांसी लगा ली। शादी की सालगिरह थी अगले दिन। उसने कुछ नहीं किया है। वह बाहर जॉब करता था। गांधी नगर में तीन तारीख को ही आया था। उसी महीने 12 तारीख को फांसी लगा ली। वह उस दिन घर पर नहीं था। अभियुक्त शक्ति द्वारा कहा गया है कि वह माँ के साथ हर्षपुर गया था। मौसा जी खत्म हो गये थे। शादी के बाद वह माँ के साथ अलग रहता था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है।* अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देना कहा गया है।

11– दिनाँक 09.04.2025 को अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा पी.डब्ल्यू.10 कान्सटेबल

महेन्द्र नाथ पाठक द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी.डी. कायमी को गलत साबित करना व सफाई–साक्ष्य देना कहते हुए कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सत्यम व ममता को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था तथा जब सभी लोग मृतका के शव को अस्पताल से कुआंतला लेकर जा रहे थे तो इलाइट चौराहे पर वादी मुकदमा से मिलकर थाना कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा दो दिन अवैध कस्टडी में रखकर झूठी गिरफ्तारी दिखा दी।

12– बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 श्रीमती नर्वदा, डी.डब्ल्यू.2 बलराम व डी.डब्ल्यू.3 धर्मेन्द्र को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची (43 क/1) के माध्यम से राशन कार्ड की छाया प्रति, दवा क्रय की रसीदें, EPF एरियर का विवरण एवं विक्रय पत्र की प्रति (43 क/2 लगायत 23) प्रस्तुत किया गया है।

13– अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

14– अभियोजन की ओर से आरोपित आरोप को साबित करने के लिए सशपथ परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों को अंकित किया जा रहा है तथा प्रतिपरीक्षा में किये गये सुसंगत कथनों को प्रकरण की विवेचना के दौरान शामिल किया जायेगा।

15– अभियुक्त के विरूद्ध गये आरोपों को साबित करने हेतु, अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है, जो घटना का वादी तथा मृतका का पिता है।** साक्षी ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने अपनी लड़की भावना की शादी दिनाँक 13.05.2021 को कुआंतला के सत्यम पुत्र कृष्णपाल के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार 51000/– रुपये नगद, एक अंगूठी, एक सोने की चैन, सिंगल बैड, एक टी.वी., बर्तन आदि दहेज में दिये थे। उसकी लड़की के ससुरालीजन सत्यम (पति), ममताबाई (सास), शक्ति (देवर) पूजा (ननद) दान दहेज से असन्तुष्ट नहीं थे और ना डबल बेड की ही मांग करते थे। उसे पता नहीं है कि उसकी लड़की से बात हुई होगी कि उसके पिता जी गरीब है। दान–दहेज की हैसियत नहीं है। इस बात की उसे जानकारी नहीं है। ससुराल वाले उसकी लड़की के साथ गाली गलौज व मारपीट कर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे। वह अपनी लड़की की ससुराल नहीं गया और ना ही उसकी ससुरालजनों से दहेज के संबंध में कोई बात हुई। दिनाँक 13.05.2023 को उसकी दूसरी लड़की कल्पना (जिसकी ससुराल ग्राम कुआंतला में ही है) ने उसे फोन करके बताया था कि भावना की तबीयत खराब है। उसके ससुराल वाले उसे झांसी अस्पताल ले गये हैं, लेकिन अभी वह लोग वापस नहीं आये हैं। दिनाँक 13.05.2023 को वह और उसका साला जितेन्द्र अन्य रिश्तेदारों के साथ मेडिकल कालेज झांसी पहुँचे तो उसकी लड़की मेडिकल कालेज में वार्ड संख्या 8 पलंग संख्या 7 में भर्ती थी, जो बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने भी भावना से कुछ नहीं पूछा था। इलाज के दौरान ही दिनाँक 17.05.2023 को मेडिकल कालेज में ही उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। उसकी पुत्री का पंचायतनामा भरा गया था या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। इस घटना की रिपोर्ट उसने ललितपुर आकर थाने में लिखाई थी। पत्रावली में पेपर संख्या 5 क तहरीर साक्षी को दिखाई गई तो साक्षी ने कहा कि यही तहरीर थाने में दी थी, जिस पर

प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी को अभियोजन के प्रतिवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16– **पी.डब्ल्यू.2** के रूप में **सरोज (मृतका की माँ)** परीक्षित हुई हैं। इसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से तीन साल पहले अपनी पुत्री की शादी सत्यम के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार की थी तथा शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था, लेकिन भावना के ससुराल वाले दिये हुए दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे और भावना के पति सत्यम, सास ससुर, देवर और ननद फ्रिज व वाशिंग मशीन की मांग करते थे। इसके बदले में उसने भैंस भी दे दी थी। फिर भी उक्त लोग संतुष्ट नहीं हुए। दहेज की मांग करते थे। उन लोगों ने फोन पर उससे भी दहेज की मांग की थी। दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण पिछली साल के ज्येष्ठ के महीने में उसकी पुत्री भावना का गला घोंट दिया था और फांसी लगाने की बात कही थी। उसी दिन लड़की ने उसे फोन पर बताया था कि उसके पति, सास–ससुर, देवर, ननद उसे टार्चर और मारपीट कर रहे हैं। उसकी बड़ी लड़की भी कुआंतला में बिहायी है। बड़ी लड़की कल्पना ने उसे फोन करके बताया था कि भावना को ससुराल वाले अस्पताल ले गये हैं। अभी तक वापस नहीं आये हैं। फिर दूसरे दिन वह, उसके पति, उसके भाई जितेन्द्र सिंह व अन्य रिश्तेदार भावना को देखने के लिए झांसी अस्पताल गये थे। जब वे लोग अस्पताल पहुँचे थे, तो भावना कोमा में थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिनाँक 17.05.2023 को भावना की मृत्यु मेडिकल कालेज में ही हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट उसके पति ने दर्ज कराई थी।

17– **पी.डब्ल्यू.3** के रूप में **जितेन्द्र सिंह** (मृतका के मामा) परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भावना उनकी भांजी थी। उसका कुआंतला के सत्यम के साथ विवाह हुआ था। उसकी शादी उसके बहन–बहनोई ने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर की थी। शादी के छः–सात माह बाद उसकी ससुराल वालों ने भावना को परेशान करना शुरु कर दिया था। यह बात उसे उसकी बहन–बहनोई ने बतायी थी और बताया था कि भावना के पति सत्यम, सास ममता, देवर शक्ती, ननद पूजा मिलकर भावना को बहुत परेशान करते थे व उसके साथ मारपीट करते थे और दहेज में फ्रिज, वाशिंग मशीन व अन्य सामान मांगते थे। उसके बदले में उन्हें भैंस दी थी। वह बहनोई राजेन्द्र सिंह व उनके भाई कल्ली, बहन सरोज के साथ भावना की ससुराल गया था। उसके ससुरालीजन को काफी समझाया था। फिर उसके ससुर ने कहा था कि उनकी घर में बिल्कुल नहीं चलती और उनकी कोई नहीं सुनता व उनको भी घर में परेशान किया जाता है। उनके घर में उनकी पत्नी अर्थात भावना की सास की चलती थी। उसके बाद वे लोग घर चले आये थे। उसके बाद करीब दो माह सब ठीक–ठाक चला था। उसके बाद दिनाँक 12.04.2023 को भावना की मारपीट की गयी थी। फिर दिनाँक 12.05.2023 को उक्त ससुरालीजन ने भावना को फांसी लगा दी थी, जिससे वह घायल हो गयी थी। उसके बाद भावना को ससुराल वाले इलाज के लिए मेडिकल कालेज झांसी ले गये थे। उसे सूचना मिलने पर वह झांसी में भावना को देखने मेडिकल कालेज पहुँच गया था। उस समय वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। कोमा में थी। इसके बाद घटना की रिपोर्ट उसके बहनोई ने थाने पर दी थी। वह भी उनके साथ था। फिर चार–पांच दिन बाद उसे जानकारी हुई थी कि भावना की मृत्यु हो गयी है। भावना की मृत्यु ससुराल पक्ष द्वारा लगायी गयी फांसी से आयी चोटों के कारण हुई थी।

18– **पी.डब्ल्यू.4 अरुण प्रताप सिंह (मृतका का फुफेरा भाई)** परीक्षित हुआ है,

जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका भावना उसके मामा की लड़की है। भावना की शादी कुआंतला के सत्यम के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक–ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भावना को उसकी सास, पति, देवर व ननद परेशान करते थे। मारपीट करते थे। जब भावना मायके जाती थी, तब बताती थी एवं फोन पर भी उसे कई बार बताया था। उसने उन्हें समझाया था। उसे दिनाँक 13.05.2023 को जानकारी मिली थी कि भावना ने फांसी लगा ली है और झांसी अस्पताल में भर्ती है। फिर दो–तीन दिन बाद सूचना मिली थी कि भावना की मृत्यु हुई थी। उसे जानकारी नहीं है कि भावना ने फांसी कैसे लगायी थी, लेकिन भावना के ससुरालवालों ने लगाई थी। जब भावना की मृत्यु हुई थी, तो वह झांसी पहुँच गया था और भावना को उसने शव गृह में देखा था। मृतका भावना का पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था और उस पर हस्ताक्षर भी करवाये गये थे।

19– **पी.डब्ल्यू.5** के रूप में **कल्लू** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भावना उसकी भतीजी थी। जिसकी शादी चार साल पहले ग्राम कुआंतला के सत्यम के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में यह तय हुआ था कि शादी बिना दान–दहेज की होगी। सत्यम के परिवार की ओर से कोई मांग नहीं की गयी थी। फिर भी भावना के ससुराल वाले सत्यम (पति), ममता (सास), शक्ती (देवर) दहेज की मांग करते थे। वह दहेज में टी.वी., कूलर, डबल बैड व अन्य सारा सामान मांगते थे। यह बात उसे भावना की मां ने बतायी थी और माँ को भावना ने बतायी थी। उन लोगों ने कहा था कि दहेज में सामान तो नहीं है, लेकिन अभी भैंस है, वह ले जाओ। जब ससुरालीजन परेशान करते थे, तो उसके भाई राजेन्द्र, भाभी सरोज, भाई के साले जीतू, कुआंतला समझाने आये थे तो वह मान गये थे, लेकिन फिर परेशान करने लगे थे। उसे जानकारी नहीं है कि भावना ने खुद फांसी लगायी थी या इन लोगों ने मारपीट कर मारा था। उसे तो केवल बीमार होने का पता लगा था कि हास्पिटल में भर्ती है। यह बात उसे दूसरे दामाद राजू (जो इंदौर में रहते हैं) ने बतायी थी। जब वह आ गया था, तब सुना था कि भावना ने फांसी लगा ली है। यह झांसी में पता चला था। भावना के पिता राजेन्द्र ने बताया था कि भावना ने फांसी लगा ली है और बताया था कि सामान नहीं दे पाने की वजह से फांसी लगा ली है।

20– **पी.डब्ल्यू.6** के रूप में **राधा पालीवाल** परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने मृतका का पंचायतनामा किया है। साक्षी ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 17.05.2023 को वह, झांसी सदर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी। उस दिन एस.डी.एम. की सूचना के आधार पर वह मेडिकल कालेज, झांसी पहुँची थी, जहाँ पर मृतका श्रीमती भावना पत्नी सत्यम के पंचायतनामा की कार्यवाही बोल–बोलकर उपनिरीक्षक कमल से लिखवाई थी। जो व्यक्ति मौके पर उपस्थित थे, उनमें से पंच नियुक्त किये थे, जिनमे सत्यन, ममता, बलराम, अरूण सिंह व कल्लू को पंच नियुक्त किया था। मृतका के शरीर पर पायी चोटों का विवरण अंकित किया था। मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण होना प्रतीत हो रही थी। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए उसने व पंचों ने शव का पोस्टमार्टम कराये जाने की सलाह दी थी। पंचायतनामा पर सभी पंचों के हस्ताक्षर करवाये थे एवं उसने भी हस्ताक्षर किये थे। उक्त पंचायतनामा, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, नमूना सील, फोटो नाश, पुलिस फार्म संख्या 33, शव चालानी रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत 7 डाला गया।

21– **पी.डब्ल्यू.7** के रूप में **डा. रविकान्त शर्मा** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 12.05.2023 को वे मेडिकल कालेज झांसी में इमरजेंसी आफिसर के पद पर तैनात थे। उसी दिन भावना नाम की मरीज को उसका पति सत्यम सिंह लेकर आया था। सत्यम द्वारा बताया गया था कि उसी दिन करीब 1 बजे दिन में भावना द्वारा फांसी लगा ली गयी थी। भावना पूरे होश–हवाश में नहीं थी, न किसी को जान–समझ रही थी। भावना का उस समय ब्लड प्रेशर 100–60mmhg था। ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 प्रतिशत था। पल्स रेट 60 बीट प्रति मिनट था। खून में शुगर की मात्रा 199mg/dl थी। भावना को आगे की जाँच व इलाज के लिए मेडिसिन विभाग को रैफर किया गया था। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जो उसके हस्ताक्षर व हस्तलेख में है, जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

22– **पी.डब्ल्यू.8 डा.अखिलेश** द्वारा मृतका के शव का विच्छेदन किया गया है। साक्षी ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2023 को वह जिला अस्पताल, झांसी में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर तैनात था। उसी दिन समय 03:20 PM पर मृतका भावना पत्नी सत्यम निवासी कुआंतला थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर के शव को म.का. 893 रोशनी एवं होमगार्ड 903 सेवलाल, थाना नबावाद, झांसी द्वारा पोस्टमार्टम गृह झांसी लाया गया था। मृतका के शव का पोस्टमार्टम उसी दिन उनके एवं डा. आरती रानी, मेडीकल ऑफीसर अर्बन पीएससी, सीपरी बाजार, झांसी द्वारा समय 05:05 PM पर शुरु करके 05:40 PM तक उसी दिन सम्पन्न किया गया था। मृतका के शव की शिनाख्त मृतका के पति सत्यम पुत्र कृष्णपाल निवासी कुंआतला, थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर, मृतका के बड़े भाई गजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी कोडार थाना अमोला जिला शिवपुरी द्वारा की गयी थी। पुलिस प्रपत्र में यह दर्ज किया गया था कि मृतका को दिनांक 12.05.2023 को समय 05:59 PM पर मेडीकल कालेज झांसी में भर्ती किया गया था और मृतका की मृत्यु दिनांक 17.05.2023 को समय 08:20 AM पर मेडीकल कालेज झांसी में हो गयी थी। मृतका के भर्ती का UHID No. 20230194268 था।

बाह्य परीक्षण– मृतका के शव की लम्बाई 153cm थी। कद मध्यम, काठी औसत, मृतका के शरीर के कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। मृतका के पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। मृतका की दोनों आँखें बन्द थीं और मुंह आधा खुला हुआ था।

मृत्यु पूर्व चोटें:– मृत्यु पूर्व गले के आगे की तरफ लिगेचर मार्क मौजूद था जो कि तिरछा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ डायरेक्टेड था। लिगेचर मार्क का गैप गले के पीछे की तरफ मौजूद था और गैप की लम्बाई 10cm थी। लिगेचर मार्क की लम्बाई 23cm थी और चौड़ाई 1.5cm थी। लिगेचर मार्क गले की दाहिनी तरफ दाहिने कान के ट्रैगस से 6cm नीचे मौजूद था और गले के आगे की तरफ चिन से 8cm नीचे मौजूद था और गले के बायीं तरफ बाएं कान के ट्रैगस से 11cm नीचे मौजूद था। लिगेचर मार्क के नीचे के टिसूज व्हाइट पार्चमेन्ट लाईक (White and Parchment Like) थे।

आन्तरिक परीक्षण– मस्तिष्क Soft था और मस्तिष्क का वजन 1080gms था। दांत 16/16 थे। दोनों फेंफड़े कंजेस्टेड थे। दाहिने फेंफड़े का वजन 380gms था व बाएं फेंफड़े का वजन 330gms था। बायां दिल खाली था और दायां भरा हुआ था। दिल का वजन 180gms था। पेट में लगभग 250ml पानी जैसा द्रव मौजूद था। छोटी आंत में Chyme & Gases मौजूद थीं। बड़ी आंत में मल और गैसेस मौजूद थीं। लीवर कंजेस्टेड

था जिसका वजन 1080gms था। गाल ब्लैडर आधा भरा हुआ था। प्लीहा कंजेस्टेड थी जिसका वजन 150gms था। अग्नाशय सामान्य था। दोनों गुर्दे कंजेस्टेड थे। दोनों का वजन 90–90gms था। मूत्राशय खाली था। जननांग सामान्य थे। बच्चादानी खाली थी। जैसा कि पुलिस प्रपत्र में दर्ज था, मृतका की मृत्यु दिनांक 17.05.2023 को समय 08:20 AM पर मेडीकल कॉलेज, झांसी में हुयी थी।

मृत्यु का कारण– मृत्यु पूर्व पार्सियल हैंगिंग की वजह से हुए कोमा से मृत्यु होना सम्भव है। कुल नौ पुलिस प्रपत्र, सात पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृतका के मृत शरीर को सीलबन्द मुहर करके सम्बन्धित म.का. 893 रोशनी एवं होमगार्ड 903 सेवलाल थाना नबावाद झांसी को प्राप्त करा दिये गये थे। उनके द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज पत्रावली पर पेपर सं. 8 क/1 लगायत 8 क 7 है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर डा. आरती रानी के साथ उसके भी हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

23– **पी.डब्ल्यू.9** के रूप में **मामले के विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अभय नारायण** परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 18.05.2023 को वह क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर के पद पर तैनात था। उस दिन मु.अ.सं. 370/2023 धारा 323, 504, 120B, 498A, 304B IPC & 3/4 D.P. Act बनाम सत्यम आदि थाना कोतवाली ललितपुर की विवेचना ग्रहण की थी। उसी दिन पर्चा नं.–1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान FIR लेखक का.मु. महेन्द्र नाथ पाठक एवं CCTNS कर्मी म.का. सरोज सिंह एवं वादी राजेन्द्र सिंह के बयान अंकित कर वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके का नक्शा नजरी तैयार किया था जो आज पत्रावली पर पेपर सं. 17 क है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया व धारा 41 क के नोटिस प्रेषित किये जाने का विवरण अंकित किया। दिनांक 19.05.2023 को पर्चा नं.–II किता किया, जिसमें अभियुक्तगण सत्यम सिंह व श्रीमती ममता की गिरफ्तारी का विवरण अंकित किया व अभियुक्तगणों के बयान अंकित किये। दिनांक 25.05.2023 को पर्चा नं.–III किता किया, जिसमें साक्षी श्रीमती सरोज के बयान, साक्षी जितेन्द्र सिंह गौर के बयान, साक्षी कल्लू वैश्य के बयान अंकित किये व मृतका भावना की शादी से सम्बन्धित कार्ड व व्यवहार की कॉपी का विवरण अंकित किया एवं मृतका के फोटोग्राफ पर अंकित विवरण का अवलोकन कर विवरण अंकित किया गया। दिनांक 31.05.2023 को पर्चा नं.–IV किता किया जिसमें अभियुक्तगणों के रिमाण्ड का विवरण अंकित किया गया। दिनांक 01.06.2023 को पर्चा नं.–V किता किया जिसमें मृतका भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा व मेडीकल कॉलेज झांसी की MLC व BHT की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का विवरण एवं उनके अवलोकन कर विवरण अंकित किया गया व मृतका का पंचायतनामा भरने वाले मजिस्ट्रेट राधा पालीवाल तथा पोस्टमार्टम करने वाले डा. अखिलेश सिंह व डा. आरती रानी व MLC तैयार करने वाले डा. रवि शर्मा के मोबाईल नंबरों का विवरण अंकित किया व उनके मोबाईल नंबरों से पूछताछ कर, उनके बयानों को अंकित किया। मृतका की बहन कल्पना व बहनोई बलराम सिंह के बयान अंकित किये गये। दिनांक 06.06.2023 को पर्चा नं.–VI किता किया, जिसमें पंचायतनामा के साक्षी अरुण प्रताप सिंह, प्रान सिंह, राम सरोवर, नरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्रों की छायाप्रति प्राप्त करने का विवरण व अवलोकन कर विवरण अंकित किया गया। दिनांक 10.06.2023 को पर्चा नं.–

VII किता किया, जिसमें अभियुक्ता श्रीमती पूजा के बयान अंकित किया गया एवं उसे धारा 41(1)B CrPC का अनुपालन कराकर मुचलके पर छोड़ने का विवरण अंकित किया। अभियुक्ता पूजा के मोबाईल नम्बर की CDR की मांग का विवरण अंकित किया। दिनांक 13.06.2023 को पर्चा नं.–VIII किता किया, जिसमें अभियुक्तगणों के रिमाण्ड का विवरण अंकित किया। दिनांक 16.06.2023 को पर्चा नं.–IX किता किया, जिसमें अभियुक्ता श्रीमती पूजा के मोबाईल नम्बर की CDR प्राप्त करने व अवलोकन करने का विवरण अंकित किया। अभियुक्ता श्रीमती पूजा की नामजदगी गलत पायी जाने के कारण उसका नाम विवेचना से पृथक किया व अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध अग्रिम विवेचना प्रचलित रही। मृतका की BHT रिपोर्ट जिला चिकित्सालय, ललितपुर से प्राप्त कर उसका अवलोकन कर विवरण अंकित किया। दिनांक 17.06.2023 को पर्चा नं.–X किता किया, जिसमें अभियुक्त शक्ति सिंह की गिरफ्तारी का विवरण व उसका बयान अंकित किया एवं अभियुक्त के रिमाण्ड का विवरण अंकित किया। दिनांक 18.06.2023 को पर्चा नं.–XI किता किया, जिसमें मृतका के भाई गजेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये एवं संकलित साक्ष्य, बयान वादी, घटनास्थल निरीक्षण व तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण सत्यम सिंह, श्रीमती ममता, शक्ति सिंह के विरुद्ध धारा 323, 504, 120B, 498A, 304B IPC & 3/4 D. P. Act का अपराध सिद्ध होने पर आरोप पत्र संख्या 393/2023 न्यायालय प्रेषित किया, जो पत्रावली पर पेपर सं. 3 क/1 लगायत 3 क/9 है, जिस पर उसकी मुहर व हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

24– **पी.डब्ल्यू.10** के रूप में **कां. महेन्द्र नाथ पाठक** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में दिनाँक 17.05.2023 को थाना कोतवाली ललितपुर में कांस्टेबल मुहर्रिर के पद पर तैनात होने और उस दिन वादी की तहरीर पर, थाना प्रभारी के लिखित आदेश के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 370/2023 बनाम सत्यम आदि, धारा 323, 504, 120 बी, 498 ए, 304 बी भा.द.सं. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत करने का कथन करते हुए चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श क–12** व जी.डी. कायमी मुकदमा को **प्रदर्श क–13** के रूप में साबित किया है।

25– मैंने राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन एवं मूल्यांकन किया है।

उभय पक्षों के तर्क

26– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, उसे मारपीट कर चोटें पहुँचायी गयी और गले में फांसी लगा दी गयी तथा षडयन्त्र के चलते मृतका को झांसी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। अभियुक्तगण द्वारा फांसी लगाने के कारण मृतका की दौरान इलाज झांसी मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी। मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क पाया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसके साथ क्रूरता करने व उक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका की प्रताड़ना व क्रूरता के अनुक्रम में, उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होना साबित किया है। अभियुक्तगण मृतका से दहेज में फ्रिज, वाशिंग मशीन व अन्य सामान की

मांग करते थे। पी.डब्ल्यू.2 लगायत पी.डब्ल्यू.5 ने अपने साक्ष्य में मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसके साथ क्रूरता करने के तथ्य को साबित किया है। मृतका के पंचायतनामा में मृतका के गले में चोट का निशान व फांसी लगाना पंचायतनामाकर्ता द्वारा पाया गया है और चिकित्सक की राय में भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति फांसी लगाये तो पोस्टमार्टम में पायी गयी एंटीमार्टम चोट आ सकती है। आगे यह तर्क भी दिया गया है कि भावना की मृत्यु अपनी ससुराल में, अभियुक्तगण के घर में फाँसी लगाने के परिणामस्वरूप हुई है। ऐसी दशा में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अंतर्गत सबूत का भार बचाव पक्ष पर अंतरित हो जाता है, जिसका निर्वहन करने में अभियुक्तगण असफल रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप धारा 304बी, 498ए, 323/34, 120बी, 504 भा.द.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा.द.सं., युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित होता है।

27– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन कथानक व साक्ष्य को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन कथानक अटकलों एवं अनुमानों पर आधारित है तथा अभियुक्तगण पर अरोपित अपराध लेशमात्र भी साबित नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उनके द्वारा आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है। मृतका ने स्वयं दिनाँक 12.05.2023 को समय 1 बजे दिन में फांसी लगायी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंशिक (Partial) हैंगिग पायी गयी है। मृतका के पति अभियुक्त सत्यम द्वारा मृतका तो तत्काल इलाज के लिए दिनाँक 12.05.2023 को समय 05.59 बजे मेडिकल कालेज, झांसी ले जाकर इलाज कराना प्रारम्भ कर दिया गया। मृतका दिनाँक 12.05.2023 से दिनाँक 17.05.2023 तक मेडिकल कालेज, झांसी में भर्ती रही तथा दौरान उपचार दिनाँक 17.05.2023 को मृतका की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त सत्यम, ममता व शक्ति सिंह पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के समय मृतका के साथ उपस्थित रहे हैं। इतना ही नहीं अभियुक्त सत्यम व उसके बड़े भाई द्वारा पोस्टमार्टम के समय मृतका के शव की पहचान भी की गयी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का आचरण ऐसा रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया है और इसी प्रताड़ना व क्रूरता के अनुक्रम में मृतका की मृत्यु हुई है। मृतका के पिता पी.डब्ल्यू.1 वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टाइप कराकर उसकी पत्नी के भाई ने थाने पर लाकर दी थी और वादी मुकदमा के हस्ताक्षर कराये थे। इससे यह साबित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व अभियोजन द्वारा विधिक सलाह लेकर प्रार्थना पत्र टाइप कराया गया था। वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि अभियुक्तगण दान–दहेज से संतुष्ट थे और डबल बेड की मांग नहीं करते थे। उसकी पुत्री के ससुराल वाले उसकी लड़की को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे और न ही उनके द्वारा दहेज की कोई मांग ही की गई। वादी के अनुसार वादी की बड़ी बेटी कल्पना मृतका के ससुराल ग्राम कुआतला में ब्याही है, जिसके पति डी.डब्ल्यू.1 बलराम ने मृतका के ससुराल वालों द्वारा दहेज मांगने और मृतका के साथ क्रूरता करने से इंकार किया है। वादी पक्ष द्वारा कल्पना, जिसके द्वारा घटना की सूचना मायके में देना कहा गया है, को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के पूर्व उससे दान–दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया

और कूरता की गयी थी।। इतना ही नहीं, मृतका के साथ दान–दहेज के संबंध में कभी कोई पंचायत होना भी साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसके साथ की गयी प्रताड़ना व क्रूरता के कारण असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम में मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी है। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष, घटना के समय अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित करने में असफल रहे हैं, इसलिये मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 प्रयोज्य नहीं होती है।

<u>समीक्षा एवं निष्कर्ष</u>

28– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि अभियोजन कथानक के अनुरूप अभियुक्तगण सत्यम, श्रीमती ममता व शक्ति सिंह पर जिन धाराओं का आरोप विरचित हुआ है, उस आधार पर साक्ष्य की विवेचना किया जाना उचित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498A, 304B, 323/34, 120 बी भा०दं०सं० तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित हुआ है तथा विकल्प में धारा 302 भा०दं०सं० का भी आरोप विरचित हुआ है। आरोपित सभी अपराधों में धारा 304B भा०दं०सं० का अपराध मुख्य अपराध है।

29– **<u>दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961</u>** की **धारा–2** में '**दहेज**' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दहेज से तात्पर्य है–

क– विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे के लिए या

ख–विवाह के किसी पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए

विवाह करने के संबंध में विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिए प्रतिज्ञा की गयी किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है।

<u>धारा 498 ए भा.द.सं.–</u> किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने से सम्बन्धित है। इस धारा के प्रयोजनों के लिये क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जानबूझकर किया गया को ई आचरण जो ऐसी प्रवृत्ति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी रिश्तेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई माँग पूरी करने के लिये प्रताड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहा है।

30– **<u>धारा–304 बी भा.द.सं.</u>–** दहेज मृत्यु से संबंधित है, जिसके अनुसार, जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी

मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा–2 में है।

31– **<u>धारा–304 बी भा.द.सं.</u>** के अपराध के लिए अभियोजन को निम्न तथ्य प्रमाणित करने होंगे–

1–स्त्री की मृत्यु जलने अथवा शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा परिस्थितियों में हुई हो।

2–उसकी मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर हुई हो,

3–मृत्यु के कुछ पूर्व पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की गयी हो या तंग किया गया हो,

4– उक्त क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की मांग अथवा उसके संबंध में की गयी हो।

उपरोक्त चारों शर्तों के पूरा होने पर यह माना जायेगा कि मृतका की मृत्यु **दहेज मृत्यु** है तथा ऐसी परिस्थिति में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–113 बी** की उपधारणा की जायेगी कि उक्त दहेज मृत्यु पति अथवा उसके रिश्तेदारों ने कारित की है।

32– **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–113 बी–** दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित है। जिसके अनुसार जब प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है, और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

''**<u>दशरथ प्रति स्टेट आफ मध्य प्रदेष, ए.आई. आर., 2010 एस0 सी0– 2592</u>**'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा–113 बी लागू होने के लिए अभियोजन को दहेज मृत्यु साबित करना होगा।

33– माननीय उच्चतम न्यायालय ने' **<u>ईश्वर चन्द्र अमीचन्द्र गोवाड़िया–प्रति–स्टेट आफ महाराष्ट्र, (2006)10 एस0सी0सी0–322, राम बदन शर्मा–प्रति–स्टेट आफ बिहार, ए0आई0आर02006 एस0सी0–2855 एवं प्यारे लाल–बनाम–स्टेट आफ हरियाणा, ए0आई0आर0 1999 एस0सी0–1563</u>** की निर्णयज विधि में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन, दहेज हत्या के तत्वों को सफलतापूर्वक साबित कर लेता है, तभी साक्ष्य अधिनियम की धारा–113 बी की उपधारणा का प्रश्न उठता है। चाहे मृत्यु हत्या से हुई हो या आत्म हत्या से। दहेज हत्या के प्रयोजनार्थ सभी अस्वाभाविक मौते दहेज हत्या की श्रेणी में आती हैं। **<u>स्टेट आफ राजस्थान–प्रति–तेग बहादुर, 2005 एस0सी0सी0 (क्रि0)–218, आनंद कुमार–प्रति–स्टेट आफ मध्य प्रदेश, 2009 (3) एस0सी0सी0–799 एवं प्रेम कुमार–प्रति–स्टेट आफ राजस्थान, 2009 (3) एस0सी0सी0–726</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा–113 बी की उपधारणा लागू होने के लिए दहेज हत्या के तत्वों का साबित होना आवश्यक है। जिनको साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर होता है, लेकिन जब अभियोजन उपरोक्त तत्वों को साबित कर लेता है, तभी उसे धारा–113 बी की उपधारणा का लाभ मिलता है। दहेज हत्या साबित हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण पर अपनी निर्दोषिता साबित करने का भार अंतरित हो जाता है।

34– इस प्रकार धारा–304 बी भा.द.सं. एवं धारा–113 बी साक्ष्य अधिनियम के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि पत्रावली पर यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु के ठीक पहले मृतका के साथ क्रूरता या प्रताड़ना की गयी थी। यदि

धारा–304 बी भा.द.सं. के तत्व साबित हो जाते हैं, तभी धारा–113 बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा लागू होती है।

35– उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष धारा 304B भा०दं०सं० के आवश्यक तत्वों को सफलता पूर्वक साबित कर पाया है? जिसको साबित करने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B की उपधारणा लागू होगी और क्या मृत्यु के कुछ पूर्व पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा भावना के साथ क्रूरता की गयी या तंग किया गया तथा उक्त क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की माँग अथवा उसके संबंध में की गयी है? और क्या अभियुक्तगण द्वारा षडन्यन्त्र के तहत मृतका को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया?

36– वादी मुकदमा द्वारा मुकामी थाने पर प्रस्तुत तहरीर (प्रदर्श क–1) में कथन किया गया है कि उसने अपनी पुत्री भावना का विवाह दो वर्ष पूर्व सत्यम पुत्र कृष्णपाल सिंह, निवासी ग्राम कुँआतला, थाना कोतवाली ललितपुर के साथ किया था। शादी में उसकी पुत्री के ससुराल वाले सत्यम (पति), श्रीमती ममता बाई (सास), शक्ति (देवर), पूजा (ननद) खुश नहीं थे और दहेज की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना पर उसने व उसके रिश्तेदारों ने कई बार उक्त ससुरालीजन को समझाया, परंतु अभियुक्तगण अपनी हरकतों से बाज नहीं आये और ना ही शादी के बाद से पुत्री को उसके घर भेजा। दिनाँक 12.05.2023 को उसकी पुत्री को उक्त ससुराल वालों ने गले में फांसी लगाई, जिससे उसकी पुत्री को चोट आने के कारण षडयन्त्र रचकर इलाज के लिए झांसी ले गये और इलाज के दौरान उसकी पुत्री की मृत्यु दिनाँक 17.05.2023 को हो गयी।

37– तहरीर को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर (प्रदर्श क–1) को साबित करते हुए कहा है कि उसने अपनी लड़की भावना का विवाह कुआंतला के सत्यम पुत्र कृष्णपाल के साथ दिनाँक 13.05.2021 को किया था। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार 51000/– रुपये नगद, एक अंगूठी, एक सोने की चैन, सिंगल बैड, एक टी.वी., बर्तन आदि दहेज में दिये थे। उसकी लड़की के ससुरालीजन सत्यम (पति) ममताबाई (सास), शक्ति (देवर) व पूजा (ननद) दान–दहेज से असन्तुष्ट नहीं थे और ना ही डबल बेड की मांग करते थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी पुत्री की, ससुराल वालों से बात हुई होगी कि पिता गरीब है तथा और दान–दहेज देने की हैसियत नहीं है। ससुराल वाले गाली–गलौज व मारपीट करके उसकी लड़की को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे। वह अपनी लड़की की ससुराल नहीं गया और ना ही ससुरालीजन से दहेज के संबंध में कोई बात हुई। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी द्वारा तहरीर (प्रदर्श क–1) में किये गये कथनों के विपरीत बयान दिया गया है, जिस कारण साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए <u>अभियोजन की ओर से प्रति परीक्षा की गयी है</u>। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि जो भी दिया, अपनी खुशी से दिया था। लड़की की मृत्यु फांसी लगने के कारण हुई है। तब उसने दरोगा को बताया था कि लड़की की मृत्यु फांसी से हुई थी। उसकी लड़की ने उसे यह नहीं बताया कि लड़की का पति, सास–ससुर उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। जब वह थाना गया था, तब उसका साला जितेन्द्र उसके साथ गया था। दरख्वास्त टाइप कराकर जितेन्द्र लाया था। उसने उसे पढ़कर सुनाई थी, याद नहीं है। उसने उसे बताया था कि दरख्वास्त में क्या लिखाया है।

साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त सत्यम और उसके परिवार वालों से राजीनामा कर लिया है, इसलिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है और समाज के लोगों द्वारा पंचायत कराई गई है, इस कारण अभियुक्त को बचाने के लिए न्यायालय में सही नहीं बता रहा है।

38– <u>अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रति परीक्षा</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि उस दिन उसकी लड़की भावना की सास ममता व देवर शक्ती रिश्तेदारी में बाहर गये थे और वहां से सीधे झांसी अस्पताल पहुँचे थे। अस्पताल में सत्यम, ममता व शक्ति उसकी लड़की भावना का इलाज करा रहे थे। उसकी लड़की को दो साल पूर्व सर्प ने काट लिया था, जिसकी झाड़–फूंक कराई गई थी। भावना ठीक हो गयी थी, लेकिन शरीर में विष की गर्मी बढ़ गयी थी। भावना के सिर पर प्रेत का छाया था, जिससे वह बीमार रहती थी और अजीब–गरीब हरकत करती थी। भावना के शरीर में उसकी बहन की आत्मा प्रवेश कर जाती थी, जिससे वह परेशान रहती थी। शादी के पहले उसने देव स्थानों पर दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति ने फांसी नहीं लगायी थी और ना ही कोई दान–दहेज की मांग की।

39– अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.2 के रूप में मृतका की माता सरोज परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भावना की शादी में हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था, लेकिन भावना के ससुराल वाले दिये गये हुए दान–दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे। भावना के पति सत्यम, सास–ससुर, देवर और ननद फ्रिज व वाशिंग मशीन की मांग करते थे। इसके बदले में भैंस भी दे दी थी, फिर भी उक्त लोग सन्तुष्ट नहीं थे और दहेज की मांग करते थे। उन लोगों ने दहेज की मांग फोन पर उससे भी किया था तथा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण पिछले साल के ज्येष्ठ महीने में उसकी पुत्री भावना का गला घोंट दिया था और फांसी लगाने की बात कही थी। उसी दिन लड़की ने उसे फोन पर बताया था कि उसके पति, सास–ससुर, ननद उसे टार्चर और मारपीट रहे हैं। उसकी बड़ी लड़की कल्पना कुआंतला में ब्याही है। कल्पना ने उसे फोन करके बताया था कि भावना को ससुराल वाले अस्पताल ले गये हैं। अभी तक वापस नहीं आये हैं। फिर दूसरे दिन वह अपने पति व भाई के साथ झांसी अस्पताल गयी थी। जब वे लोग पहुँचे थे, तो भावना कोमा में थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी और दिनाँक 17.05.2023 को भावना की मृत्यु हो गयी थी।

40– <u>अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रति परीक्षा में</u> पी.डब्ल्यू.2 ने कहा है कि सिलगन वाले मुलायम सिंह उसके रिश्ते में जीजा लगते हैं। मुलायम सिंह ग्राम कुआंतला में ही निवास करते हैं। भावना की शादी को तीन साल हो गये हैं। भावना की शादी लॉकडाउन में हुई थी। शादी के बाद केवल दो बार ही भावना को भेजा था और कहा था कि जब दहेज देंगे, तब भेजेंगे। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि तहरीर वादी (प्रदर्श क–1) में कहा गया है कि शादी के बाद से मृतका भावना के ससुराल वालों ने मृतका को मायके नहीं भेजा था, जबकि पी.डब्ल्यू.2 का कहना है कि उसकी लड़की को शादी के बाद दो बार मायके भेजा था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसकी लड़की भावना ने घटना वाले दिन लगभग 10–11 बजे सुबह फोन किया था। उस समय वह मायके में थी। उसने, उसे बताया था कि मारपीट रहे हैं। भावना ने उसके ही फोन पर फोन किया था। उसे फोन नम्बर याद नहीं है। उल्लेखनीय है कि मृतका द्वारा फोन पर साक्षी से बात करने की बात कही गयी हैं,

लेकिन साक्षी द्वारा अपना कोई फोन नम्बर नहीं बताया गया है। वह 13 तारीख को झांसी पहुँची थी। वह व उसकी बहन मायके से तथा ससुराल से जेठ शिशुपाल व देवर संतोष, राजकुमार गये थे। ये लोग 13 तारीख को झांसी पहुँच गये थे। उसकी लड़की भावना इलाज के लिये 12 तारीख को भर्ती हुई और 17 तारीख को खत्म हो गयी थी। वह, 13 से 17 तारीख तक झांसी में अस्पताल में ही रही। दिनाँक 13 से 17 के बीच वह रिपोर्ट करने आयी थी। कौन से दिन आयी थी, उसे याद नहीं है। दिनाँक 13 से 17 पहले वह, उसके पति व उसका लड़का रिपोर्ट लिखाये थे। दहेज की उसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसके पति ने जो एफ.आई.आर. लिखाई थी, उसके कहने पर लिखाई थी और अपनी मर्जी से लिखाई थी। शादी से पहले उसकी लड़की कभी फासी नहीं लगायी थी। शादी मे जो दान-दहेज दिया था, उसकी लिस्ट बनवाई थी। काफी समय होने के कारण पता नहीं कहाँ है। दहेज मांगने वाली बात स्वयं सत्यम ने उससे फोन पर कही थी। वह फोन नम्बर नहीं बता सकती। जिस फोन नम्बर पर सत्यम ने कहा, वो फोन नम्बर इस समय उसके पास है कि नहीं, उसे याद नहीं है। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.2 ने अपने बयान में मात्र सत्यम द्वारा फोन के माध्यम से उससे दहेज की मांग करने का कथन किया है। अन्य किसी अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग करने का कथन नहीं किया गया है। साक्षी के इस कथन से यह साबित होता है कि मृतका ने इस साक्षी पी.डब्ल्यू.2 से दहेज की मांग की कोई बात नहीं बतायी है, जो भी बात हुई है, वह अभियुक्त सत्यम द्वारा कही गयी है, लेकिन सत्यम द्वारा भी उक्त दहेज मांगने वाली बात किस फोन नम्बर पर कही गयी थी और उक्त फोन नम्बर अभी है या नहीं, यह जानकारी उसे होने से इंकार किया है। साक्षी ने अपने बयान में यह तो कहा है कि शादी के बाद उसकी पुत्री भावना को ससुरालीजन द्वारा दो बार मायके भेजा गया था और कहा था कि जब दहेज देंगे, तब भेजेंगे, लेकिन उक्त बात किसने कही थी, यह नहीं बताया है, जबकि तहरीर में उसकी पुत्री भावना को शादी के बाद से मायके नहीं भेजने का कथन किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू.2 सरोज द्वारा अपने साक्ष्य में उसकी पुत्री मृतका भावना के ससुरालीजन द्वारा मृतका भावना से दहेज मांगने व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने के सामान्य कथन किये गये हैं और कोई स्पष्ट कथन व घटित विशिष्ट घटना साक्षी ने नहीं बतायी है।

41- पी.डब्ल्यू.3 जितेन्द्र सिंह मृतका का मामा है। साक्षी ने कहा है कि मृतका भावना की शादी के छः-सात माह बाद उसके ससुरालीजन द्वारा परेशान करना शुरु कर दिया गया था। यह बात साक्षी की बहन व बहनोई ने बतायी थी। वह, बहनोई राजेन्द्र सिंह व उनके भाई कल्लू एवं बहन सरोज के साथ भावना की ससुराल कुआंतला गये थे और ससुरालीजन को काफी समझाया था। फिर उसके ससुर ने कहा था कि उनकी घर में बिल्कुल नहीं चलती है घर में उनकी पत्नी अर्थात मृतका भावना की सास (अभियुक्त ममता) की चलती है। उसके बाद करीब दो माह सब ठीक-ठाक चला था। उसके बाद दिनाँक 12.04.2023 को भावना की मारपीट की थी। फिर दिनाँक 12.05.2023 को उक्त ससुरालीजन ने भावना को फांसी लगा दी थी, जिससे वह घायल हो गयी थी। सूचना मिलने पर वह झांसी में भावना को देखने मेडिकल कालेज गया था। इसके बाद घटना की रिपोर्ट उसके बहनोई/पी.डब्लू.1 ने थाने पर दी थी। वह भी उनके साथ गया था। फिर चार-पांच दिन बाद उसे जानकारी हुई थी कि भावना की मृत्यु हो गयी है। यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि मृतका भावना को झांसी में दिनाँक 12.05.2023 को अभियुक्त सत्यम द्वारा लाया जाना कहा गया है। दिनाँक 17.05.2023 को भावना की मृत्यु हुई है और दिनाँक

17.05.2023 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 4-5 दिन बाद मृतका की मृत्यु की जानकारी होना कहा है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय यह साक्षी, वादी मुकदमा/पी.डब्ल्यू.1 के साथ था। इस साक्षी के द्वारा प्रति परीक्षा में यह भी कहा गया है कि भावना की शादी की तिथि उसे याद नहीं है। वह भावना का सगा मामा है। शादी ग्राम कुआंतला से हुई थी, फिर कहा कि शादी कोंडर से हुई थी। वह शादी में शामिल हुआ था। शादी में दोनों पक्ष से करीब 500 व्यक्ति शामिल हुए होंगे। शादी वर्ष 2021 में हुई थी। जिस समय शादी हुई थी, उस समय लाकडाउन चल रहा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में मई महीने में कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष में लाकडाउन लगा हुआ था और किसी एक स्थान पर व्यक्तियों की उपस्थिति सीमित कर दी गयी थी, जबकि साक्षी द्वारा शादी में पाँच सौ लोगों के शामिल होने का कथन किया गया है, जो स्वाभाविक नहीं है और साक्षी के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। पी.डब्ल्यू.3 के अनुसार मृतका की मारपीट दिनाँक 12.04.2023 को होना भी कहा गया है, जिसकी सूचना उसे उसकी माता सरोज द्वारा दी गयी है, लेकिन पी.डब्ल्यू.3 ने यह नहीं कहा है कि दिनाँक 12.04.2023 की मारपीट की सूचना उसकी मां को किसने दी थी। दिनाँक 12.04.2023 को मारपीट होने की बात पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र व पी.डब्ल्यू.3 सरोज (जो मृतका के माता-पिता हैं), के द्वारा नहीं कही गयी है। पी.डब्ल्यू.3 ने प्रति परीक्षा में कहा है कि उसने दिनाँक 12.04.2023 को भावना को सत्यम द्वारा मारपीट करने वाली बात पुलिस को नहीं बतायी थी। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र व पी.डब्ल्यू.2 सरोज की सहमति से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान दिया था, जिसमें उसने ससुरालीजन द्वारा फ्रिज एवं वाशिंग मशीन मांगने वाली बात नहीं लिखायी थी। वह ग्राम कुआंतला अकेला ही भावना के घर समझाने गया था। वहां पर गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.3 ने जहाँ एक ओर अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपने बहनोई राजेन्द्र, उनके भाई कल्लू व बहन सरोज के साथ मृतका भावना की ससुराल ग्राम कुआंतला गया था, वही दूसरी ओर प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि कुआतलां वह अकेला ही भावना के घर समझाने गया था। वहां पर गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.3 द्वारा साक्ष्य में मृतका भावना की ससुराल जाकर, ससुरालीजन को समझाने के संबंध में विरोधाभासी कथन किये गये हैं। पी.डब्ल्यू.3 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसने या राजेन्द्र व सरोज ने या उनके परिवार वालों ने दहेज मांगे जाने वाली बात के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र किसी अधिकारी अथवा थाने पर नहीं दिया था और ना ही किसी अदालत में मुकदमा किया था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि मृतका भावना के ससुर कृष्णपाल की मृत्यु हो गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि मृतका भावना के ससुर द्वारा कहा गया था कि घर में उनकी नहीं चलती है, क्योंकि कृष्णपाल की मृत्यु हो जाने के कारण वह गवाही देने के लिए न्यायालय नहीं आ सकते हैं। साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा है कि वह भावना की ससुराल में एक बार गया है, लेकिन उसकी तारीख याद नहीं है। पी.डब्ल्यू.3 जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया यह कथन सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जब यह साक्षी स्वयं कह रहा है कि वह अपनी बहन-बहनोई के साथ मृतका के ससुराल अभियुक्तगण को समझाने गया था तो उसे क्यों याद नहीं है कि वह, उसके बहन व बहनोई मृतका के घर कब गये थे। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य भी विश्वसनीय साक्ष्य की

श्रेणी में नहीं आता है।

42– पी.डब्ल्यू.4 अरुण प्रताप सिंह, मृतका भावना की बुआ का लड़का है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि जब भावना मायके जाती थी, तब बताती थी कि अभियुक्त सत्यम (पति), ममता (सास), शक्ति देवर व पूजा (ननद) मारपीट करते थे। उसे भी फोन पर कई बार बताया था और उसने उन्हें समझाया था। यह साक्षी पंचायतनामा का गवाह है। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा है कि उसने धारा 161 द.प्र.सं. के बयान में पुलिस को बताया था कि मृतका भावना के ससुरालीजन दहेज के लिए भावना को परेशान करते है और यह बात मृतका ने उसे फोन पर बतायी थी, लेकिन पुलिस ने उसके बयान में फोन वाली बात नहीं लिखी। इस साक्षी को मृतका के मरने की सूचना उसकी मौसी के लड़के राजेन्द्र ने फोन से बतायी थी। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि यह साक्षी मृतका की ननद के बारे में भी परेशान करने वाली बात बता रहा है, जबकि विवेचक द्वारा मृतका की ननद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उसका विचारण किया गया है। यह साक्षी पंचायतनामा का साक्षी है और मृतका की बुआ का लड़का है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है कि मृतका किस फोन से उसे फोन लगाती थी, इसकी जानकारी नहीं है। आगे साक्षी ने कहा है कि सत्यम के फोन से बात हुई थी। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह बयान देने अपने मामा कल्लू व राजेन्द्र के साथ आया है। मृतका साक्षी के मामा की लड़की है। इस साक्षी के अनुसार मृतका ने मायके में जहर खाया था, किस वजह से खाया था, यह नहीं पता है। मृतका से फोन से एक–दो बार बात हुई थी, परंतु उसने जहर खाने के संबंध में उसे कुछ नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह मृतका की शादी के बाद कितनी बार उसकी ससुराल छोड़ने गया था, याद नहीं है। उसके बाद भावना की ससुराल गया था, याद नहीं है। फिर कहा कि पहले गया या बाद में गया, उसे याद नहीं है। वह नहीं बता सकता कि मृतका कितनी बार आयी–गयी होगी। ससुराल से मायके एक बार गयी होगी। इस प्रकार इस साक्षी ने, तहरीर (प्रदर्श क–1) एवं पी.डब्ल्यू.2 सरोज के साक्ष्य के विपरीत मृतका को शादी के बाद एक बार मायके आने का कथन किया गया है। साक्षी ने जहाँ एक ओर मृतका भावना की ससुराल जाने का कथन किया है, वहीं दूसरी ओर उसने मृतका भावना की ससुराल आने–जाने के संबंध में याद नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा भी अपने साक्ष्य में मृतका भावना से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ना व क्रूरता किये जाने के संबंध में सामान्य प्रकृति के कथन किये गये हैं और साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है।

43– पी.डब्ल्यू.5 कल्लू, मृतका का चाचा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतका उसकी भतीजी थी। शादी बिना दान–दहेज के तय हुई थी। सत्यम की ओर से कोई मांग नहीं की गयी थी। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति दहेज में टी.वी. कूलर, डबल बैड अन्य सारा सामान मांगते थे। यह बात उसे भावना की मां ने बतायी थी और माँ को भावना ने बतायी थी। उसे जानकारी नहीं है कि भावना ने खुद फांसी लगायी थी या इन लोगों ने मारपीट कर मारा था। उसे केवल बीमार होने का पता लगा था कि भावना अस्पताल में भर्ती है। यह बात उसे दूसरे दामाद राजू (जो इंदौर में रहते हैं) ने बतायी थी। मृतका भावना के पिता ने उसे बताया था कि दहेज में सामान न दे पाने के कारण भावना ने फांसी लगा ली है। साक्षी ने बचाव पक्ष की प्रति परीक्षा में कहा है कि वह सत्यम के यहाँ कभी नहीं आया–गया, जबकि पी.डब्ल्यू.3 जितेन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्य में

कहा कि वह पी.डब्ल्यू.5 कल्लू एवं अपने बहन–बहनोई पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र व पी.डब्ल्यू.2 सरोज के साथ मृतका भावना की ससुराल ग्राम कुआंतला में ससुरालीजन को समझाने गया था। इस साक्षी ने भी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि इस घटना के पहले उसके परिवारजनों ने सत्यम व उसके परिवार वालों की कोई शिकायत किसी थाने या उच्चाधिकारियों से कभी नहीं की थी। साक्षी ने कहा है कि जब वह झांसी अस्पताल में मृतका को देखने पहुँचा था, तब मृतका के गले में 10–12 धार्मिक ताबीज बंधे हुए थे। इस साक्षी के साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के सामने मृतका के ससुरालीजन द्वारा मृतका से दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और साक्षी द्वारा दहेज के संबंध में जो भी बात कही गयी है, वह सुनी–सुनाई बातों के आधार पर कही गयी है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य घटना के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है।

44– पी.डब्ल्यू.6 राधा पालीवाल, नायब तहसीलदार द्वारा मृतका के पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पादित की गई है। दिनाँक 17.05.2023 को वह झांसी सदर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी और एस.डी.एम. की सूचना के आधार पर वह मेडिकल कालेज, झांसी पहुंची थी। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पंचायतनामा व उससे संबंधित प्रपत्र रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी, नमूना सील, फोटोनाश, पुलिस फार्म संख्या 33 व चालान रिपोर्ट शव को क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत 7 के रूप में साबित करते हुए कथन किया है कि मृतका के शरीर पर पायी गयी चोटों का विवरण अंकित किया था। मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण होना प्रतीत हो रही थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए साक्षी व पंचों ने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी। प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि एस.डी.एम. के मौखिक आदेश से वह करीब 12.30 से 1 बजे दिन में पहुँची थी। उसे याद नहीं है कि मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट थी या नहीं। साक्षी ने मृतका के पति सत्यम व अन्य चार लोगों को पंच नियुक्त किया था, जिनके नाम उसे याद नहीं है। पंचायतनामा की कार्यवाही में मृतका का पति उपस्थित था।

45– पी.डब्ल्यू.7 डा. रविकान्त शर्मा, जिनके समक्ष मृतका को फांसी लगाने के तत्काल बाद इलाज हेतु लाया गया था, परीक्षित हुए हैं। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतका भावना की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित करते हुए कहा है कि दिनाँक 12.05.2023 को वह मेडिकल कालेज, झांसी में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। **उसी दिन दिनाँक 12.05.2023 को मृतका भावना को उसका पति सत्यम मेडिकल कालेज समय 05.59 पी.एम. पर लेकर आया था। सत्यम ने बताया था कि मृतका भावना ने उसी दिन करीब 1 बजे दिन में फांसी लगा ली थी।**वह होश–हवाश में नहीं थी, न किसी को जान–समझ पा रही थी। मृतका भावना को आगे की जांच के लिए मेडिसिन विभाग को रेफर किया गया था। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि **कानूनन उसने इस केस की सूचना निकटतम पुलिस चौकी, स्थित मेडिकल कालेज, में दी थी। मृतका को कोई चोट नहीं थी।** मृतका भावना मेडिकल कालेज झांसी में दिनाँक 12.05.2023 से दिनाँक 17.05.2023 तक इलाजरत रही थी। उसने इलाज हेतु मेडिसिन विभाग को रेफर किया था, जहाँ मरीज का उचित इलाज किया गया था। उस समय मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी और पूरी तरह होश–हवाश में नहीं थी। इस साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झांसी मेडिकल कालेज में इलाज में लापरवाही की वजह से मृतका की मृत्यु हुई। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका भावना को उसके पति सत्यम (अभियुक्त) द्वारा घटना वाले दिन ही तत्काल समय 5.59 पर मेडिकल

कालेज, झांसी में इलाज हेतु लाया गया और उस समय मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं थी।

46- पी.डब्ल्यू.8 डा. अखिलेश कुमार सिंह के द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पोस्टमार्टम आख्या को प्रदर्श क-9 के रूप में साबित करते हुए कहा है कि दिनाँक 17.05.2025 को वह जिला अस्पताल झांसी में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दिन समय 03.20 पी.एम. पर मृतका भावना के शव को पोस्टमार्टम गृह झांसी लाया गया था। मृतका के शव का पोस्टमार्टम उसी दिन साक्षी व डा. आरती रानी द्वारा समय 05.05 पी.एम. से 05.40 पी.एम. तक किया गया। मृतका के शव की पहचान मृतका के पति सत्यम व मृतका के बड़े भाई गजेन्द्र सिंह द्वारा की गयी थी। पुलिस प्रपत्र में यह दर्ज था कि दिनाँक 12.05.2023 को समय 05.59 पी.एम. पर मेडिकल कालेज झांसी में मृतका को भर्ती किया गया था और उसकी मृत्यु दिनाँक 17.05.2023 को समय 08.20 ए.एम. पर मेडिकल कालेज झांसी में हो गयी थी। मृतका का भर्ती का UHID No. 20230194268 था। इस साक्षी के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। मृतका के पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी। मृत्यु पूर्व गले के आगे की तरफ लिगेचर मार्क मौजूद था, जो कि तिरछा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ डायरेक्टेड था। लिगेचर मार्क का गैप गले के पीछे की तरफ मौजूद था और गैप की लम्बाई 10 से.मी. थी। लिगेचर मार्क की लंबाई 23 से.मी. थी और चौड़ाई 1.5 से.मी. थी। लिगेचर मार्क गले की दाहिन तरफ दाहिने कान के ट्रैगस से 6 से.मी. नीचे मौजूद था और गले के आगे की तरफ चिन से 8 से.मी. नीचे मौजूद था। लिगेचर मार्क के नीचे के टिसूज व्हाइट पार्चमेंट लाइक थे। मृतका की मृत्यु का कारण पार्सियल हैगिंग की वजह से कोमा था। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि नायब तहसीलदार की राय के अनुसार दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था। उसने मृतका का वजन नहीं लिया था। **मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई अंदरूनी व बाह्य चोट नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति स्वयं फांसी लगाता है तो उसको भी यह लिगेचर चिन्ह आ सकता है। पोस्टमार्टम में इस बात की राय नहीं दी जा सकती कि मृतका ने स्वयं फांसी लगायी थी या उसको किसी अन्य व्यक्ति ने फांसी लगायी थी। यह सब विवेचना का विषय है। चूंकि मृतका के शरीर पर अन्य कोई चोट व कोई घर्षण चिन्ह नहीं था, इसलिए ऐसा कोई संकेत किसी और के द्वारा फांसी लगाये जाने का प्रतीत नहीं हो रहा था।** इस प्रकार इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य चोट का कोई निशान नहीं पाया गया है और साक्षी के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि मृतका के शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं होना यह संकेत करता है कि मृतका ने स्वयं फांसी लगायी थी।

47- पी.डब्ल्यू.9 के रूप में प्रकरण के विवेचक क्षेत्राधिकारी, सदर परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा की विवेचना का विवरण देते हुए नक्शा नजरी तैयार करने व बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित करने का कथन करते हुए नक्शा नजरी को प्रदर्श क-10 व आरोप पत्र को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि जिस कमरे में फांसी लगाना बताया जाता है, उस कमरे में एक तख्त और तख्त के पास एक कुर्सी रखी हुई थी। कमरे की ऊंचाई लगभग आठ फीट थी। उसने ये बात नक्शा नजरी में नहीं लिखी है। सामने आंगन के बाद दूसरे कमरे को वहां उपस्थित लोगों ने भावना का सोने का कमरा बताया था। उस कमरे में चूड़ी टूटी हुई पायी गयी थी। उसने नोट किया था, लेकिन कब्जे में नहीं लिया था। मौके पर साड़ी या दुपट्टा

उसे वहां पर नहीं मिला था। उसने दिनाँक 01.06.2023 को नायब तहसीलदार राधा पालीवाल, डा. अखिलेश कुमार, डा. आरती रानी व डा. रवि शर्मा के बयान मोबाइल फोन से लिए थे। उसी दिन श्रीमती कल्पना व बलराम सिंह के बयान ग्राम कुआंतला जाकर लिये थे। दहेज मांगने वाली बात वादी मुकदमा ने मौखिक रूप से बतायी थी। उसके संबंध में कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया था। दिनाँक 12.05.2023 से 17.05.2023 तक, जब तक भावना झांसी अस्पताल में भर्ती रही थी, उसकी कोई सूचना ललितपुर पुलिस को नहीं दी गई थी और ना ही ललितपुर पुलिस झांसी अस्पताल गयी थी।

48– पी.डब्ल्यू.10 का. महेन्द्र नाथ पाठक कांस्टेबल मुहर्रिर है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनाँक 17.05.2023 को थाना कोतवाली ललितपुर में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 370/2023 बनाम सत्यम आदि, धारा 323, 504, 120बी, 498ए, 304बी भा.द.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत करने का कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–12 व कायमी जी.डी. को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया है। जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि दिनाँक 17.05.2023 को समय 09.37 बजे रात्रि में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। थाने पर रिपोर्ट लिखाने वादी, उसका भाई और एक अन्य व्यक्ति आया था।

49– पत्रावली पर उपलब्ध महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय की मृतका की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या (प्रदर्श क–8) में यह उल्लेख है कि मृतका को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झांसी में दिनाँक 12.05.2023 को समय 05.59 पी.एम. पर भर्ती कराया गया है। उक्त आख्या में भर्ती कराने/लाने वाले व्यक्ति का नाम सत्यम सिंह (पति) का उल्लेख है। चोटों के विवरण में दिनाँक 12.05.2023 को समय 1 पी.एम. पर पार्सियल हैंगिग अंकित है तथा विवरण में Pt. Semi conscious and not connected to time, Partial hanging on 12.05.2023 at 1 P.M. with no ligature mark present over the neck अंकित है।

50– पत्रावली पर घटना स्थल का नक्शा–नजरी (प्रदर्श क–10) उपलब्ध है, जिसमें X स्थान पर मृतका का फांसी लगाना दर्शित किया गया है, जिसके उत्तर–पश्चिम कोने पर एक तख्त और उसके दक्षिण ओर एक कुर्सी X स्थान के नीचे दर्शित की गयी है, जिस पर खड़े होकर मृतका द्वारा पार्सियल हैगिंग मृतका द्वारा की गयी है। कुर्सी की मौजूदगी यह साबित करती है कि मृतका ने वहां पर फांसी लगायी है। Y एवं Z स्थान पर टूटी हुई काँच की चूड़ियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

51– अभियुक्तगण के धारा 313 द.प्र.सं. के बयान दिनाँक 27.11.2024 को अंकित किये गये हैं, जिसमें अभियुक्त सत्यम ने कहा है कि **उसकी पत्नी की मां उससे पैसे मांगती रहती थी। वह पत्नी को दे देता था, जो अपनी मां को भिजवा देती थी। उसकी पत्नी दिमागी रूप से परेशान थी और खुद फांसी लगा ली। अगले दिन शादी की सालगिरह थी। उसने कुछ नहीं किया है। वह बाहर नौकरी करता था। वह तीन तारीख को ही आया था। उसी महीने 12 तारीख को फांसी लगा ली।** अभियुक्त ममता ने अपने धारा 313 द.प्र.सं. में कहा है कि **वह उस दिन हर्षपुर बहन नर्वदा के यहां थी, क्योंकी बहनोई खत्म हो गये थे। वह अलग रहती थी। छोटे बेटे शक्ति के साथ रहती थी। उसने कुछ नहीं किया है। झूठा फंसाया है। कोई मांग नहीं की गयी।** अभियुक्त शक्ति सिंह ने अनपे धारा 313 द.प्र.सं. में कहा है कि **वह उस दिन घर पर नहीं था। हर्षपुर मां के साथ गया था। मौसा जी खत्म हो गये थे। शादी**

के बाद वह मां के साथ अलग रहता था। उसने कुछ नहीं किया है।

52– दिनाँक 09.04.2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के अतिरिक्त धारा 313 द.प्र.सं. के बयान अंकित किये गये हैं, जिसमें अभियुक्तगण ने कहा है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा सत्यम व ममता को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था तथा जब सभी लोग मृतका के शव को अस्पताल से ग्राम कुआंतला लेकर जा रहे थे, तो इलाइट चौराहे पर वादी मुकदमा से मिलकर थाना कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा दो दिन अवैध कस्टडी में रखकर झूठी गिरफ्तारी दिखा दी।**

53– **बचाव पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू.1 श्रीमती नर्वदा देवी** को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी अभियुक्ता ममता की बहन है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि जिस दिन मृतका ने फांसी लगायी थी, उस दिन मृतका की सास ममता व देवर शक्ति मोटरसाइकिल से 08.30–9.00 बजे उसके घर ग्राम हर्षपुर आ गये थे। उस दिन उसके घर, उसके पति के अंतिम संस्कार की शुद्धता थी। घटना की सूचना उसकी बहन ममता (अभियुक्ता) को किसी ने दी तो उसकी बहन ममता व शक्ति मोटरसाइकिल से ही दिन में लगभग 3 बजे सीधे झांसी के लिए निकल गये थे। इस साक्षी के अनुसार मृतका, अभियुक्तगण ममता व शक्ति से पृथक निवास करती थी। अभियोजन की ओर से की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि सत्यम की शादी में वह शामिल नहीं हुई थी। लॉकडाउन चल रहा था। साक्षी केवल एक बार अपनी बहन ममता के घर मृतका के विवाह के बाद गयी थी। साक्षी ने मृतका से दहेज मांगने की बात कभी नहीं सुनी थी।

54– **डी.डब्ल्यू.2 बलराम, मृतका का सगा जीजा और वादी मुकदमा का दामाद है**, ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका विवाह मृतका भावना की बहन कल्पना से वर्ष 2012 में हुआ था। भावना उसकी पत्नी कल्पना की सगी छोटी बहन थी। साक्षी ने बताया है कि सत्यम व भावना की शादी दिनाँक 13.05.2021 को कोरोना लॉकडाउन में हुई थी। वह भावना के घर किसी अवसर पर या बुलाने पर जाता था। भावना ने उसे सत्यम या उसके परिवारजन द्वारा दहेज मांगने के संबंध में कभी कोई बात नहीं बतायी थी और ना ही उसने कभी सत्यम या उसके परिवारजन द्वारा भावना को दहेज के लिए मारते या प्रताड़ित करते देखा और ना ही इसके बारे कभी सुना था। मृतका के माता–पिता ने दहेज के संबंध में कोई रिपोर्ट या कार्यवाही नहीं की थी, न प्रताड़ित करने के संबंध में कोई पंचायत जोड़ी थी। सत्यम के घर एक कमरे में भावना व सत्यम निवास करते थे व अन्य कमरों में सत्यम व भावना से अलग उसके पिता कृष्णपाल सिंह, सत्यम की मां श्रीमती ममता व भाई शक्ति निवास करते थे। दिनाँक 12.05.2023 को उसे गांव में खबर मिली कि सत्यम भावना को लेकर सरकारी अस्पताल ललितपुर गया था। जब वह, वहां पर पहुँचा तो सत्यम ने बताया कि भावना ने फांसी लगा ली थी, उसे लेकर आए हैं। उस दिन सत्यम की मां श्रीमती ममता व भाई शक्ति रिश्तेदारी में ग्राम हर्षपुर गये हुए थे। डाक्टर ने भावना को झांसी रेफर कर दिया था तो वह भी भावना के साथ झांसी गया था। मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी। साक्षी ने सत्यम के साथ झांसी में भर्ती कराया था। अभियोजन की ओर से की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि सत्यम और वह दोनों एक ही गांव के निवासी है। सत्यम उसके सगे साढ़ू हैं। उसका घर सत्यम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। यदि कोई कार्यक्रम होता है तो सत्यम उसके यहां आते हैं और वह सत्यम के यहाँ जाता है। मृतका भावना का संबंध उसने ही करवाया था। वह भावना की

शादी के बाद भावना के भाई की शादी में ससुराल गया था। वहां पर भावना से उसकी मुलाकात हुई थी। गाँव में उसकी मुलाकात भावना से कार्यक्रम आदि में हुई थी और सामान्य रूप से भावना की बात उसकी पत्नी, जो भावना की बहन है, से होती रहती थी। मृतका के फांसी लगाये जाने की सूचना मृतका के मायके में उसने दी थी। भावना उसके घर कार्यक्रम में बुलाने पर आती थी। कार्यक्रम के दौरान उसकी बातचीत होती थी। घर परिवार कुशलता की बातचीत होती थी। उसने भावना से परेशानी के बारे में भी पूछा था, लेकिन भावना कभी किसी परेशानी के बारे में नहीं बताती थी।

55– **डी.डब्ल्यू.3 धर्मेन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह सत्यम के बड़े पापा का लड़का है। इस साक्षी ने कहा है कि वह सत्यम के साथ मृतका को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ललितपुर सरकारी अस्पताल लेकर गया था। ललितपुर अस्पताल से भावना को झांसी के लिए रेफर कर दिया गया था। मृतका के मायके वाले मृतका को ऊपरी चक्कर बताते थे, जिसके लिए कई बार पूजा–पाठ कराने के लिए मायके वाले भावना व सत्यम आदि को अपने साथ ले जाते थे। मृतका के गले में अनेक धार्मिक ताबीज पहनाये हुए थे। अभियोजन द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि मृतका भावना रिश्ते में उसकी बहू लगती थी, इसलिए उसकी भावना से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। इस साक्षी ने कहा है कि सत्यम के ससुराल वालों से यहां आने–जाने पर बातचीत होती रहती थी। वह लोग कहते थे कि सब ठीक–ठाक है। सब कुशल–मंगल है और भावना के बारे में कोई बात नहीं बतायी थी, न कभी दहेज मांगे जाने के संबंध में कोई बात बतायी थी और ना ही मारपीट की कोई बात बतायी थी। सत्यम और वह दोनों छुट्टियों में भैंस चराते थे। भावना ने जब फांसी लगायी थी, उस समय गर्मियां थीं और मई का महीना था। उस दिन सत्यम भैंस चराने उसके साथ गये थे। भावना ने फांसी दिन में करीब 2–3 बजे लगायी थी। उस समय वह अपनी भैंसों के साथ बेड़ा में था। सत्यम खाना खाने जब घर आया था, तब पता चला था कि भावना ने फांसी लगा ली है।

56– बचाव पक्ष की ओर से राशन कार्ड की छाया प्रति (43क/2) प्रस्तुत की गयी है, जिसमें मुखिया का नाम ममता, सदस्यों का नाम कृष्णपाल सिंह व शक्ति सिंह अंकित है तथा राशन कार्ड से हटाई गयी यूनिट में सत्यम सिंह का नाम अंकित है, जो दिनाँक 20.09.2021 को शादी होने की दशा में हटाया गया होना अंकित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ममता व शक्ति सिंह मृतका भावना व अभियुक्त सत्यम से पृथक निवास करते थे। बचाव पक्ष की ओर से मृतका के इलाज से संबंधित खरीदी गई दवाओं की रसीदें जो दिनांक 12.05.2023 से दिनांक 15.05.2023 तक हैं (का.सं. 43क/3 ता. 43क/9), भविष्य निधि खाते व बैनामा की छाया प्रति (का. सं. 43क/10 ता. 43क 23) प्रस्तुत की गयी है।

57– मृतका की पोस्टमार्टम आख्या (प्रदर्श क–9) पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें मृतका को मृत्यु पूर्व गले के आगे की तरफ लिगेचर मार्क बताया गया है, जो कि तिरछा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ डायरेक्टेड था। लिगेचर मार्क का गैप गले के पीछे की तरफ मौजूद था और गैप की लम्बाई 10cm थी। लिगेचर मार्क की लम्बाई 23cm थी और चौड़ाई 1.5cm थी। लिगेचर मार्क गले की दाहिनी तरफ दाहिने कान के ट्रैगस से 6cm नीचे मौजूद था और गले के आगे की तरफ चिन से 8cm नीचे मौजूद था और गले के बायीं तरफ बाएं कान के ट्रैगस से 11cm नीचे मौजूद था। लिगेचर मार्क के नीचे के टिसूज व्हाइट पार्चमेन्ट लाईक (White and Parchment Like) थे। मोदी ज्यूरिस्पेडेंस के

अनुसार गले के टिश्यू चमकदार दिखायी दे तो मृत्यु हैगिंग से हुई होना कहा गया है। प्रस्तुत मामले में मृतका की मृत्यु पार्सियल हैगिंग से होना कहा गया है। मृतका के शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी है। ऐसी स्थिति में मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। साक्षी पी.डब्ल्यू.4 अरुण के साक्ष्य में यह तथ्य आया था कि मृतका द्वारा पूर्व में भी जहर खाया गया था। पी.डब्लू.5 कल्लू ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि जब वह झाँसी अस्पताल भावना को देखने गया था, तब भावना के गले में 10–12 धार्मिक ताबीज बंधे हुए थे। इसी तरह का बयान डी.डब्लू.3 धर्मेन्द्र ने देते हुए कहा है कि मृतका गले में अनेक धार्मिक ताबीज पहने हुए थी। ऐसी दशा में मृतका की मृत्यु, मृतका द्वारा अज्ञात कारणवश फांसी लगाये जाने से होना प्रतीत होता है।

58– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में यह कहीं साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका भावना को मारपीट कर उसके साथ प्रताड़ना व क्रूरता की गयी और उक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना व क्रूरता के अनुक्रम मृतका की फांसी लगाकर षडयन्त्र करके मृतका को इलाज कराने हेतु अस्तपाल में भर्ती कराने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका के घर वालों द्वारा मृतका को भैंस दी गयी थी, जिसे वापस नहीं करने के कारण पी.डब्ल्यू.2 व पी.डब्ल्यू.3 द्वारा न्यायालय में बयान दिया गया है, जबकि पी.डब्ल्यू.1 जो कि मृतका का पिता है और उसके द्वारा दहेज की मांग करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया जाना स्वाभाविक है, के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग को लेकर मृतका की मारपीट कर उसे प्रताड़ित व उसके साथ क्रूरता किये जाने से इंकार किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर (प्रदर्श क–1) के अनुसार मृतका को अभियुक्तगण द्वारा विवाह के पश्चात मायके नहीं भेजा गया था और पी.डब्ल्यू.1 वादी द्वारा साक्ष्य में कहा गया है कि शादी के बाद कभी भी मृतका के ससुराल नहीं गया। मृतका ने कभी भी वादी मुकदमा/पिता से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और मारपीट करने प्रताड़ित व क्रूरता करने की बात नहीं बतायी थी। पी.डब्ल्यू.2 जो मृतका की मां है, के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा फोन पर दहेज की मांग करना तो कहा गया है, लेकिन अपने साक्ष्य में यह कहीं नहीं बताया है कि मृतका ने अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते हुए उसके साथ क्रूरता की गयी थी। पी.डब्ल्यू.2 के अनुसार उसकी लड़की विवाह के बाद दो बार मायके आयी थी, परंतु पी.डब्ल्यू.2 ने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि जब लड़की दो बार मायके आयी थी तो उसने अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व क्रूरता करने की बात पी.डब्ल्यू.2 से बतायी थी। पी.डब्ल्यू.2 के अनुसार अभियुक्त सत्यम द्वारा फोन से दहेज मांगने का कथन किया गया है, लेकिन किस फोन पर, फोन किया गया और उक्त फोन अभी है या नहीं, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं होना कहा गया है। पी.डब्ल्यू.1 अथवा पी.डब्ल्यू.2 ने घटना के पूर्व कभी भी कहीं कोई शिकायत नहीं किये जाने का कथन किया गया है। पी.डब्ल्यू.3 ने अपने बयान में यह कहा है कि वह अपनी बहन पी.डब्ल्यू.2, बहनोई पी.डब्ल्यू.1 व बहनोई के भाई कल्लू पी.डब्ल्यू.5 के साथ मृतका के ससुराल गया और अभियुक्तगण को समझाया, परंतु पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 ने ऐसी कोई बात नहीं कही है तथा पी.डब्ल्यू.5 का कहना है कि वह कभी भी मृतका के ससुराल नहीं गया। विवेचक पी.डब्ल्यू.9 ने अपने बयान में कहा है कि उसने मृतका की बहन कल्पना व बहनोई बलराम के बयान लिये थे। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कल्पना का विवाह ग्राम कुआंतला में ही हुआ

है, जहाँ मृतका का विवाह हुआ है तथा बलराम मृतका का बहनोई है। उक्त दोनों व्यक्तियों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के संबंध में कोई मारपीट व क्रूरता की जाती, तो मृतका सबसे पहले उसी गाँव में रह रही अपनी बहन कल्पना को बताती और कल्पना मामले में एक मजबूत साक्षी हो सकती थी, लेकिन उक्त कल्पना व उसके पति बलराम को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है बल्कि उक्त बलराम बचाव पक्ष की ओर से, डी.डब्ल्यू.2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने कहा है कि दहेज की कोई प्रताड़ना नहीं की गयी है। पी.डब्ल्यू.4 के अनुसार मृतका ने मृत्यु पूर्व अपने मायके में एक बार जहर खाया था। जहर की वजह पी.डब्ल्यू.4 बताने में असमर्थ रहा है। घटना दिनाँक 12.05.2023 की समय 1 बजे दोपहर की बताई गयी है। अभियुक्त सत्यम द्वारा मृतका भावना को पहले सरकारी अस्पताल ललितपुर ले जाया गया, जहाँ से मृतका भावना को मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है। अभियुक्त सत्यम द्वारा मृतका को झांसी मेडिकल कालेज में समय 5.59 पी.एम. पर भर्ती कराया गया है और दिनाँक 17.05.2023 को मृतका की मृत्यु हुई है। मृतका को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर मृतका की मृत्यु तक और उसके बाद पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के समय अभियुक्तगण मृतका के साथ उपस्थित रहे हैं। अभियुक्तगण के उक्त आचरण से स्पष्ट है कि यदि उनके द्वारा षडयन्त्र करके मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया होता, तो वे मृतका को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाते और न ही दौरान इलाज उसके साथ रहते।

59– दहेज मृत्यु साबित करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन पर यह भी साबित करने का भार है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व, मृतका को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर क्रूरता की गयी और उक्त दहेज के अनुक्रम में दहेज की मांग तथा मृत्यु के बीच सजीव जोड़ (live link) था। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने, प्रताड़ना व क्रूरता करने के संबंध में कोई शिकायत किसी पुलिस अथवा उच्चाधिकारियों को किये जाने को साबित नहीं किया है और न ही ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत किया गया है, जिसके सामने पंचायत आदि की गयी हो। पी.डब्ल्यू.2 से लेकर पी.डब्ल्यू.5 तक मृतका के सगे संबंधी है, जो हितबद्ध साक्षी है। मृतका के पिता द्वारा दहेज की मांग की बात नहीं कही गयी है, जबकि सबसे अधिक संभावना उसके पिता द्वारा दहेज की मांग करने के तथ्य साबित करने की है, जबकि पिता द्वारा दहेज की मांग साबित नहीं की जा रही है। अभियोजन साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र व पी.डब्ल्यू.2 सरोज पति–पत्नी है और उनमें कोई दुराव या विवाद नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक–दूसरे से पृथक निवास करते हैं और पी.डब्ल्यू.1, मृतका व मृतका की माता से नाराज रहता था, इस कारण अभियुक्तगण के पक्ष में बयान दे दिया है। पी.डब्ल्यू.2 द्वारा अपने साक्ष्य में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसका पति भोपाल में मजदूरी करता है और उसे पैसा देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **माया देवी बनाम हरियाणा राज्य AIR 2016 (SC)** में यह अभिधारित किया गया है कि धारा 304 बी भा.द.सं. के प्राविधानों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मृतका की प्रताड़ना या क्रूरता की गयी और ऐसे सभी तथ्य साबित हो जाते है, तब ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु के

ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया गया व उसके क्रूरता की गयी थी और दहेज के लिए प्रताड़ना व क्रूरता के अनुक्रम में मृतका की मृत्यु हुई है। मृतका के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाये गए हैं और मृतका ने स्वयं फांसी लगायी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज की कोई विशिष्ट मांग साबित नहीं का जा सकी है, बल्कि सामान्य आरोप लगाये गये हैं तथा अभियोजन साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हुआ है कि मृतका द्वारा अपने माता–पिता या रिश्तेदारों को अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने, प्रताड़ना व क्रूरता करने का कथन किया गया है। इस कारण दहेज की मांग के सामान्य आरोप लगाये जाने के आधार पर अभियुक्तगण का अपराध सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया व उसके क्रूरता की। **मोहनलाल बनाम हरियाणा राज्य AIR 2014 SC 255** की निर्णयज विधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि दहेज की मांग यदि स्पष्ट नहीं है, बल्कि आरोप लगाया गया है और मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व कोई प्रताड़ना साबित नहीं है, तो दहेज मृत्यु साबित नहीं मानी जायेगी।

60– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण से युक्ति–युक्ति संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग की गयी और उक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ क्रूरता की गयी। उक्त दहेज की मांग के अनुक्रम में फांसी लगाकर दहेज हत्या कारित की गयी तथा बचने के लिए षड़यन्त्र करके मृतका को इलाज हेतु ले जाकर इलाज कराया गया। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण पर धारा 498A, 304B, 323/34 व 120बी, 504 भा०दं०सं० व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं है।

अभियुक्तगण पर उक्त अपराधों के साथ–साथ धारा 302 भा०दं०सं० का वैकल्पिक आरोप भी निम्न प्रकार विरचित हुआ है।

That you accused persons harassed Bhavna, the daughter of the applicant, and on 12.05.2023 at village kuatala, District Lalitpur, hanged her which caused her death on 17.05.2023, thereby you accused persons have committed an offence punishable under Section 302 of Indian Penal Code which is within the cognizance of this Court Sessions.

61– प्रस्तुत मामले में न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है क्या उन साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाया गया हत्या का वैकल्पिक आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होता है? तथा क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वासित किये जाने योग्य है और क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर अभियुक्त की दोषसिद्ध की जा सकती है। प्रकरण में अभियोजन का कथन है कि अभियुक्तगण ने अपने घर में मृतका को फाँसी लगाकर उसकी हत्या कारित कर दी। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 लागू होने के लिये अभियोजन पक्ष को कथित अपराध किये जाने के समय अपने घर/घटनास्थल पर अभियुक्तगण की मौजूदगी को साबित करने के लिये ठोस सबूत पेश करके स्वयं पर आरोपित सबूत के भार को कम करना चाहिये था, लेकिन अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसने बरवक्त घटना अभियुक्तगण को घटनास्थल/घर पर देखा हो, जबकि डी०डब्लू० 1 नर्वदा के अनुसार, जिस दिन मृतका ने

फाँसी लगायी थी, उस दिन उसके पति की अंतिम संस्कार की शुद्धता थी और उस दिन उसकी बहन ममता व उनका लड़का शक्ति मोटरसाईकिल से सुबह करीब 08.30–09.00 बजे उसके घर ग्राम हर्षपुर आ गये थे। भावना की घटना की सूचना मिलने पर ममता व शक्ति, दिन में लगभग तीन बजे मोटरसाईकिल से ही सीधे झाँसी निकल गये थे। डी.डब्लू.2 बलराम सिंह, जो मृतका का सगा जीजा एवं वादी मुकदमा का दामाद है, ने बताया है कि जिस दिन भावना ने फाँसी लगायी थी, उस दिन सत्यम की माँ ममता व भाई शक्ति रिश्तेदारी में ग्राम हर्षपुर गये थे। डी.डब्लू.3 धर्मेन्द्र ने अपने साक्ष्य में बताया है कि जिस दिन भावना ने फाँसी लगायी थी, उस दिन वह और सत्यम घर से थोड़ी दूर अपनी–अपनी भैंसे चरा रहे थे। दिन में लगभग तीन बजे सत्यम खाना खाने घर आये और घर आकर थोड़ी देर में चिल्लाये कि भावना ने फाँसी लगा ली है, तो वह सत्यम के साथ भावना को बीच में मोटरसाईकिल पर बैठाकर ललितपुर अस्पताल तक आया था। पी०डब्लू–1 वादी राजेन्द्र ने अभियुक्तगण द्वारा कथित दहेज मांगने व दहेज के लिए उसकी पुत्री भावना को प्रताड़ित/परेशान करने व तंग करने से इंकार करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति ने कभी भी भावना को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया और ना ही कभी दहेज की मांग की। उसकी लड़की को सर्प ने काट लिया था। उस पर भूत प्रेत का साया था और वह अजीब–गरीब हरकते करती थी। पी०डब्लू–2 सरोज, पी.डब्ल्यू.3 जितेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू.4 अरुण व पी.डब्ल्यू.5 कल्लू का साक्ष्य मृतका भावना की, ससुरालीजन द्वारा मारपीट किये जाने, प्रताड़ना व क्रूरता किये जाने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। मृतका की पोस्टमार्टम आख्या में लिगेचर मार्क, जिसमें गर्दन के पीछे की ओर गैप पाया गया है, के अतिरिक्त मृतका के शरीर पर चोट का अन्य कोई निशान नहीं पाया गया है। पी.डब्ल्यू.8 डा. अखिलेश द्वारा अपने साक्ष्य में बताया गया है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोट अथवा संघर्ष के कोई निशान नहीं पाये गये थे। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को इलाज हेतु तुरन्त सरकारी अस्पताल ललितपुर ले जाया गया, जहाँ से उसे झांसी रेफर किया गया है और वहां पर अभियुक्तगण द्वारा मृतका का दिनाँक 12.05.2023 से दिनाँक 17.05.2023 तक इलाज कराया गया है। मृतका भावना की मृत्यु फांसी से हुई है, किन्तु यह फांसी अभियुक्तगण ने ही लगाई है, इसे अभियोजन किसी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। ऐसे किसी साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसने अभियुक्तगण को घटनास्थल/घर पर या मृतका को फांसी पर लटकाते देखा हो। मृतका के चेहरे व शरीर पर भी विरोध का कोई चिन्ह नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा अपने धारा 313 द.प्र.सं. के बयान में मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाने का कथन किया है तथा मृतका को दीमागी रूप से बीमार बताया गया हैं। डी.डब्लू.2 बलराम ने बताया है कि झाँसी अस्पताल में उसने देखा था कि भावना के गले में बहुत से धार्मिक ताबीज बँधे हुए थे। डी०डब्लू० 3, धर्मेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मृतका के मायके वाले मृतका पर ऊपरी चक्कर बताते थे, जिसके लिये कई बार पूजा–पाठ कराने के लिये मायके वाले भावना व सत्यम आदि को अपने साथ ले जाते थे। मायके वाले गले व हाथ में भावना को अनेक धार्मिक ताबीज पहनाये थे। पी०डब्लू० 5 कल्लू ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वह भावना को देखने झाँसी अस्पताल गया था, तब भावना के गले में 10–12 धार्मिक ताबीज बँधे हुए देखा था। अभियोजन ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका को फाँसी देने को किसी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित नहीं किया है। ऐसी दशा में मृतका भावना की हत्या के वैकल्पिक आरोप को अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर

सका है। तदनुसार अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

62– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्तगण सत्यम, ममता व शक्ति पर धारा 498A, 304B, 323/34, 120 बी, 504 भा०दं०सं० व धारा 4 डी०पी०एक्ट का आरोप साबित नहीं है तथा धारा 302 भा०दं०सं० का वैकल्पिक आरोप भी सन्देह से परे साबित नहीं होता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण आरोपित आरोपों से दोष मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण सत्यम सिंह, श्रीमती ममता व शक्ति सिंह को सेशन केस संख्या 700/2023, मुकदमा अपराध संख्या 370/2023, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में धारा 498 ए, 304 बी, 323/34, 120 बी, 504 भा.द.सं., धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतनामें एवं बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 31.03.2026

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 31.03.2026

(अशोक कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।